कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
ई–मेलः dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्र संख्याः–2प/रा0पु0/51/2025/ देहरादूनः दिनांक– 24 अक्टूबर, 2025

–: नोटिस :–

प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सकों के बैकलॉग के रिक्त 276 पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून द्वारा चयनित 220 चिकित्सकों को प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में तैनाती प्रदान की गई है।

बैकलॉग के माध्यम से प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित कतिपय नवनियुक्त चिकित्सकों द्वारा शासन द्वारा प्रदत्त तैनाती स्थल पर आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण प्रस्तुत नही किया गया है।

एतद्द्वारा ऐसे समस्त नवनियुक्त चिकित्सकों जिनके द्वारा आतिथि तक अपने तैनाती स्थल पर योगदान/कार्यभार ग्रहण नही किया है, को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये नोटिस निर्गत किया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 03 दिन के भीतर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अपने तैनाती स्थल पर योगदान/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यदि चिकित्सकों द्वारा अपने तैनाती स्थल पर नोटिस की तिथि से 03 दिन के भीतर योगदान/कार्यभार ग्रहण नही किया जाता है तो, तदनुसार सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये, उनका अभ्यर्थन/सेवा समाप्त कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व उनका स्वयं होगा।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक संख्या–2प/रा0पु0/51/2025/ 27590 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार चिकित्सकों को इस पत्र प्राप्ति के 03 दिन के भीतर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये नियमानुसार योगदान कराये तथा योगदान न करने वाले चिकित्सकों की सूची तत्काल सेवा समाप्त/अभ्यर्थन समाप्त किये जाने हेतु इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें।
4. आई0ई0सी0 अधिकारी/आई0टी0 सैल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार नोटिस को www.health.uk.gov.in तथा www.ukhfws.org में प्रदर्शित करवायें।
5. समस्त सम्बन्धित नवनियुक्ति चिकित्सकों को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि यदि आपके द्वारा 03 दिन के भीतर अपने तैनाती स्थल पर समस्त औपचारिततायें पूर्ण करते हुये योगदान/कार्यभार ग्रहण नही किया जाता है तो, तदनुसार आपका अभ्यर्थन/सेवा समाप्त कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं होगा।
6. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक